न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा जिला बांसवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारीः पर्वतसिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्याः 8/2020
उनवान मुकदमा

गिरीश पिता श्री कानजी जाति भील उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम सालिया तहसील व जिला बांसवाड़ा राजस्थान

प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार तहसील बांसवाड़ा व जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा सालिया जिला बांसवाड़ा राजस्थान।
3. शाखा प्रबन्धक ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स शाखा नई आबादी बांसवाड़ा राजस्थान

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थी वकील : श्री तसलीम अहमद
अप्रार्थी अधिवक्ता : तहसीलदार बांसवाड़ा, बीओबी शाखा सालिया, ओबीसी नई आबादी बांसवाडा

आदेश

दिनांक :–02–03–2021

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त का खाता संख्या 470 नया व 403 पुराना के खसरा नम्बर 2026/1020 रकबा 2–10 बीघा लगान 3.80 रूपया, खाता संख्या 180 नया 158 पुराना के खसरा नम्बर 1999/1020/1 रकबा 2–00 बीघा लगान 3.04 रूपया, वाके ग्राम सालिया पटवार क्षेत्र सालिया तहसील व जिला बांसवाड़ा राजस्थान एवं खाता संख्या 25 नया व 30 पुरानाके खसरा नम्बरान 1021 रकबा 2–11 बीघा, 1025/2 रकबा 2–14 बीघा, 1027/2 रकबा 4–11 बीघा कुल खेत 3 कुल रकबा 9–16 बीघा कुल लगान 7.94 रूपया वाके ग्राम कांकरा पटवार क्षेत्र सालिया तहसील व जिला बांसवाड़ा राजस्थान में स्थित होकर जमाबन्दी संवत 2070–2073 में दर्ज रेकार्ड है। जिस पर प्रार्थी कावीज होकर काश्त कर रहा है।

रेवेन्यू रेकार्ड में खाता संख्या 470 नया व 403 पुराना के खसरा नम्बर 2026/1020 रकबा 2–10 बीघा लगान 3.80 रूपया, खाता संख्या 180 नया 158 पुराना के खसरा नम्बर 1999/1020/1 रकबा 2–00 बीघा लगान 3.04 रूपया, वाके ग्राम सालिया पटवार क्षेत्र सालिया तहसील व जिला बांसवाड़ा राजस्थान में प्रार्थी का नाम दिलीप दर्ज रेकार्ड कर दिया है एवं खाता संख्या 25 नया व 30 पुरानाके खसरा नम्बरान 1021 रकबा 2–11 बीघा, 1025/2 रकबा 2–14 बीघा, 1027/2 रकबा 4–11 बीघा कुल खेत 3 कुल रकबा 9–16 बीघा कुल लगान 7.94 रूपया वाके ग्राम कांकरा पटवार क्षेत्र सालिया तहसील व जिला बांसवाड़ा राजस्थान में प्रार्थी का नाम ग्रीश दर्ज रेकार्ड कर दिया है। जबकि वास्तव में प्रार्थी का नाम गिरीश होना था ऐसी स्थिति में खातों में जो गलत इन्द्राज हो गया है। जिसके नाम दुरस्ती हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट में प्रस्तुत है।

मौके पर आज भी प्रार्थी कावीज होकर काश्त कर रहा है एवं रेकार्ड दुरस्ती कराना आवश्यक है। रेकार्ड दुरस्ती से कोई विवाद उत्पन्न होने की सम्भावना नही है न ही अन्य कोई क्लेमेन्ट है नाम दुरस्ती न करने से प्रार्थी को असिम क्षति होगी एवं भारी कठिनाईयों का सामना करना पडेगा। जबकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपने दस्तावेजात से उसका नाम गिरीश होना सिद्ध है एवं उक्त इन्द्राज सहवन से हुआ है। जिसको दुरस्त करने का श्रीमान को अधिकार है।

प्रार्थी के जमावन्दी व प्रार्थी के अन्य दस्तावेजात में भिन्नता होने से उक्त गलती को सुधार ने हेतु तहसील में मौखिक निवेदन आज से एक सप्ताह पूर्व करने कहा गया कि खाते में शुद्धि सक्षम न्यायालय द्वारा कराकर लाओं जिस कारण यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के यहा उक्त खाते में रहन होने से एवं प्रकरण में वे आवश्यक पक्षकार होने से फोर्मल पक्षकार बनाये गये है।

खाता संख्या 470 नया व 403 पुराना के खसरा नम्बर 2026/1020 रकबा 2–10 बीघा लगान 3.80 रूपया, खाता संख्या 180 नया 158 पुराना के खसरा नम्बर 1999/1020/1 रकबा 2–00 बीघा लगान 3.04 रूपया, वाके ग्राम सालिया पटवार क्षेत्र सालिया तहसील व जिला बांसवाड़ा राजस्थान में प्रार्थी का नाम दिलीप

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

दर्ज रेकार्ड कर दिया है एवं खाता संख्या 25 नया व 30 पुरानाके खसरा नम्बरान 1021 रकबा 2–11 बीघा, 1025/2 रकबा 2–14 बीघा, 1027/2 रकबा 4–11 बीघा कुल खेत 3 कुल रकबा 9–16 बीघा कुल लगान 7.94 रुपया वाके ग्राम कांकरा पटवार क्षेत्र सालिया तहसील व जिला बांसवाड़ा राजस्थान में प्रार्थी का नाम ग्रीश दर्ज रेकार्ड कर दिया है के स्थान पर प्रार्थी क नाम गिरीश दर्ज करने के आदेश फरमाने शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र के साथ फर्द दस्तावेजात में फोटो कापी पहचान पत्र, आधार कार्ड, अंकतालिका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सन 1990, पेन कार्ड, राशन कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, नकल जमाबन्दी आदि पेश किये है।

बैंक ऑफ बडोदा शाखा प्रबन्धक सालिया ने दिनांक 29.07.2020 को अपना जवाब पेश किया जिसमें बताया कि हमारी शाखा ने श्री दिलीप चरपोटा पुत्र श्री कांजी चरपोटा निरवासी काकरा, सालिया तहसील व जिला बांसवाड़ा को रू. 45000/– क्ज ऋणं दिनांक 23.09.2009 को दिया गया था। वर्तमान में श्री दिलीप ने यह ऋण खाता बंद करा दिया है। साथ ही हमने श्री दिलीप को उपरोक्त खाते की एनओसी दिनांक 18.06.2020 को दे दी है। आज दिनांक 29.07.2020 को श्री दिलीप चरपोटा की बैंक के प्रति कोई देनेदारी नही है। जवाब के साथ तहसीलदार बांसवाड़ा को प्रार्थना पत्र, बैंक का ऋण स्वीकृति पत्र जमाबन्दी ग्राम सालिया खाता संख्या नई 40 पुरानी 1, जमाबन्दी ग्राम सालिया खाता संख्या 354 नया 1 पुराना, पहचान पत्र दिलिप/कानजी आदि प्रस्तुत किये है।

तहसीलदार तहसील बांसवाड़ा ने अपने पत्रांक 1087 दिनांक 24.09.2020 द्वारा पटवारी हल्का सालिया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व मौका पंचनामा अनुसार प्रार्थी गिरीश पिता कानजी जाति भील निवासी कांकरा पटवार मण्डल सालिया तहसील व जिला बांसवाड़ा द्वारा खातेदारी व कब्जे काश्त भूमि पर प्रार्थी काप नाम दिलीप दर्ज किया गया है। जबकि प्रार्थी का वास्तव में नाम गिरीश है। प्रार्थी के समस्त दस्तावेज दसवी की अंकतालिका, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आई.डी., पेन कार्ड, भामाशाह कार्ड सभी में प्रार्थी का नाम गिरीश पिता कानजी दर्ज है। प्रार्थी को सामन्य बोलचाल की भाषा में दिलीप नाम से पुकारा जाता था। इसी कारणवश उनका नाम यहां गिरिश के बजाय दिलीप कर दिया गया है। जबकि वास्तव में नाम गिरीश होकर अंकन सही है।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री तसलीम अहमद एवं तहसीलदार बांसवाड़ा की बहस दिनांक 02.03.2022 को सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस में अपने कथन में बताया कि राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत आराजी में प्रार्थी का नाम ग्रीश व दिलीप दर्ज है। जबकि दस्तावेज यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, एवं अन्श्रय दस्तावेजात में में प्रार्थी का नाम गिरीश पिता कानजी है। नाम सहवन से गलत इन्द्राज होने सही किया जाना उचित होगा। अतः उक्त कब्जे एवं खाते की भूमि में ग्रीश एवं दिलीप के स्थान पर गिरीश खाते में दर्ज किया जाने आदेश फरमाने निवेदन किया गया।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं तहसीलदार की रिपोट, बैंक रिपोर्ट एवं प्रस्तुत दस्तावेजों पर गहन अध्ययन एवं मनन पर पाया कि बैंक में ऋण प्रार्थी द्वारा दिलीप नाम से लिया गया है। आवेदन पत्र से लेकर बैंक ऋण स्वीकृति पत्र में प्रार्थी का नाम दिलीप एवं हस्ताक्षर में दिलीप पाया गया है। इससे यह साबित होता है कि दिलीप अन्य व्यक्ति है। चुकि ग्राम कांकरा में ग्रीश पिता कानजी, ग्राम सालिया में दिलीप पिता कानजी की जमाबन्दी प्रस्तुत है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में हस्ताक्षर गिरीश नाम से किये है। ग्रीश, दिलीप, गिरिश तीनों नाम का मेल राजस्व रेकार्ड में शुद्धि हेतु पर्याप्त नही होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट अयोग्य होने से अस्वीकार किया जाना प्रथम दृष्टया उचित होगा।

आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू प्रार्थी के अधिवक्ता प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। आदेश सरे इजलास सुनाया जाता है ।

आदेश आज दिनांक 02–03–2021 को सुनाया गया।

(पर्वतसिंह चम्पावत)
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner